क्रम संख्या–13 पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 14 जनवरी, 2004 ई0

पौष 24, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 498/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003

देहरादून, 14 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 10–01–04 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 26, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 26, वर्ष 2003)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1\. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने वाले दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–2

मूल अधिनियम की धारा 109–क में संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (यथा उत्तरांचल राज्य में लागू) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में निम्नवत् संशोधन कर दिये जायेंगे, अर्थात् :

(1) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) में शब्द "सचिव" के स्थान पर "प्रधान" रख दिया जायेगा।

(2) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "सचिव" से पूर्व "प्रधान/" रख दिया जायेगा।

(3) मूल अधिनियम की धारा 109–क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :

(ग) "अभिलेखों के समुचित अनुरक्षण एवं उनमें प्रविष्टियां करने का दायित्व ग्राम पंचायत के सचिव का होगा"।

अध्याय–3

निरसन और अपवाद (अध्यादेश संख्या 05, वर्ष 2003)

3. (1) उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के सभी उपबन्ध सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
बी0 लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Bill, 2003 Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 26 of 2003.

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10-01-2004.

No. 498/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, January 14, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

UTTARANCHAL PANCHAYAT (SECOND AMENDMENT) Act, 2003

(UTTARANCHAL ACT NO. 26 OF 2003)

To further amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947
(as applicable in Uttaranchal)

AN

ACT

IT IS HEREBY inacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows :

CHAPTER--1

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Act, 2003.

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall be deemed to have come into force on the date the notification is issued by the State Government.

CHAPTER--2

2. In the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (As applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as Principal Act) shall be amended as follows, namely : Amendment of Section 109-A of the Principal Act

(1) The word "Secretary" shall be substituted by the word "Pradhan" in clause (a) of sub-section (1) of section 109-A of the Principal Act.

(2) The word "Pradhan/" shall be inserted between the words "The" and "Secretary" in clause (b) of sub-section (1) of section 109-A of the Principal Act.

(3) A new clause (c) shall be inserted after clause (b) of sub-section (1) of Section 109-A of the Principal Act as follows, namely :

(c) "Secretary of the Gram Panchayat shall be responsible for proper maintenance and making entries in the records".

CHAPTER--3

3. (1) The Uttaranchal Panchayat (Second Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed. Repeal and savings (Ordinance no. 05 of 2003)

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in the sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

B. Lal,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 विधायी / 30–2004–500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।